प्र.सं. 65/2020 मैं. पांसल होटल V/S NHAI न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बीट्रेटर) भीलवाड़ा

07-8-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी अन्य राजकार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 25-9-24 को पेश हो। प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र O.1 R1 CPC का पेश हुआ।

रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

25-09-2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.08.24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-151 जा.दी. शामिल पत्रावली किया जावें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.11.2024 को पेश करें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

14-11-2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-151 जा.दी. पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी के प्रकरण संख्या-390/2018 अवार्ड दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध एक अन्य प्रार्थना-पत्र भी इस न्यायालय में विचाराधीन है जिनकी विषयवस्तु एवं पक्षकारों का हित समान है। अन्त में कथन किया कि उक्त दोनों प्रकरण (प्र.सं. 65/2020 एवं 60/2020) को कन्सोलेटेड किया जावे। वकील अप्रार्थी ने उक्त दोनों प्रकरणों को कन्सोलेटेड किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। मैंने वकील उभयपक्ष को सुना। प्रकरण संख्या 65/2020 एवं 60/2020 का अवलोकन किया, उक्त दोनों प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमिअवाप्ति) एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा के प्रकरण सं. 390/18 अवार्ड दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 60/2020 के साथ पश्चातवर्ती प्रकरण संख्या 65/2020 को कन्सोलेटेड किये जाने के आदेश दिये जाते है। यह प्रकरण, प्रकरण संख्या 60/2020 के साथ संलग्न रहें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा